रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19012023-242079
CG-DL-W-19012023-242079

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

L10

सं. 01] नई दिल्ली, जनवरी 8—जनवरी 14, 2023, शनिवार/ पौष 18—पौष 24, 1944

No. 01] NEW DELHI, JANUARY 8—JANUARY 14, 2023, SATURDAY/ PAUSHA 18—PAUSHA 24, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 1.—केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उप–धारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राइफल्स में (समूह 'ग' योधक पद) भर्ती नियम, 2000 को जहां तक उसका संबंध हवलदार (साधारण ड्यूटी) के पद से है, उन बातो के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लाप किया गया है, असम राइफल्स में हवलदार (साधारण ड्यूटी) के समूह 'ग' के योधक पद पर भर्ती पद्धति के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स, हवलदार (सामान्य ड्यूटी) अराजकीय, अनन्सचिवीय समूह 'ग' योधक पद भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitments or by promotion/deputation and percentage of the vacancy to be filled by various method.	In case of recruitment by promotion/deputation absorption grades from which promotion/deputation absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits.	By deputation failing which by direct recruitment.	Deputation: Officials from amongst Central Forensic Science Laboratories or State **Forensic Science Laboratories**; (a) holding analogous post on a regular basis in the present cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications under column (7). **Note 1:** The Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note-2:** The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

If departmental promotion committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12)	(13)
Group 'C' Departmental *Confirmation* Committee (for considering Confirmation) consisting of:- (i) Deputy Director - Chairman; (ii) Assistant Director - Member; (iii) Administrative Officer (Gde-II or Grade-III) – Member.	Not applicable.

[F. No. 23011/48/2018-Police Trg.]

RAMAN KUMAR, Under Secy.

L10

नई दिल्ली, 12 जनवरी, .2023

सा.का.नि. 5.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (पुस्तकालयाध्यक्ष) भर्ती नियम, 1981 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

   (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (पुस्तकालय और सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 2023 है।

   (ख) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पद संख्या ।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पुस्तकालय और सूचना अधिकारी।	01* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर– 11 (67700. 08700/–रू.)।	चयन पद ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शाक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	02 वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।	**प्रोन्नति द्वारा–** वेतन मैट्रिक्स के स्तर–7(44900.142200/- रु.) में ऐसे सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी जिन्होंने नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त

			विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्कालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री हो। **टिप्पण 1:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142200. रु.) में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत व्यक्तियों की पात्रता सेवा इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर 7 वर्ष की रहेगी। **टिप्पण 2:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)–** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र या स्वशासी या कानूनी संगठन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान और शैक्षिक संस्था या विश्वविद्यालय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के अधीन ऐसे अधिकारी – (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–10 (56100–177500/–रू.) में या समतुल्य में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, या (iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–9 (53100–167800/–रू.) या समतुल्य में 7 वर्ष की नियमित सेवा की हो, या (iv) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–8 (रू. 47600–151100/–रू.) में या समतुल्य में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो, या (v) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–7 (रू. 44900–142400/–रू.) में या समतुल्य में 9 वर्ष की नियमित सेवा की हो, और (ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हो – **आवश्यक–** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान के पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री;

			(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अधीन पुस्कालय में 5 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। **वांछनीय–** (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अधीन पुस्तकालय में पुस्तकालय संबंधी कियाकलापों का कंप्यूटर पर कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। टिप्पण 1: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत, अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित होंगे – 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष; 2. संयुक्त निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – सदस्य; 3. उप निदेशक,सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – सदस्य । विभागीय पुष्टिसमिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित होंगे – 1. संयुक्त निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – अध्यक्ष; 2. उप निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – सदस्य; 3. सहायक निदेशक,सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी –सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. 23011/32/2018–पुलिस ट्रेनिग]

रमन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, 12th January, 2023

G.S.R. 5.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Librarian) Recruitment Rules, 1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Officer in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy under the Ministry of Home Affairs, namely : -

1. **Short title and commencement .-** (a) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Library and Information Officer) Group'A' post Recruitment Rules, 2022.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and pay level in the pay matrix. -** The number of post, its classification and the pay level in the pay matrix attached thereto shall be a specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

4. **Power to Relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

5. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Library and Information Officer.	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-A, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix.

Whether Selection Post or Non-Selection Post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion, failing which by deputation including short term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	**If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
By promotion:- Assistant Library and Information Officer with nine years regular service in level-7 (Rs.44900-142200) in the pay matrix and possessing Bachelors Degree in Library science or Library and Information Science from recognised University or Institute. **Note1:** The eligibility service shall continue to be seven years for persons holding the post of Assistant Library and Information Officer in level-7 (Rs 44900-142400) in the pay matrix on regular basis on the date of notification of these rules. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **By deputation (including short term contract):** Officers under the Central Governments or State Governments or Union Territory or Autonomous or Statutory Organisation or Recognized Research and Educational Institution or University or Public Sector Undertaking:- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in level-10 (Rs 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with seven years regular service in level-9 (Rs 53100-167800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with eight years regular service in level-8 (Rs 47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (v) with nine years regular service in level-7 (Rs 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department ; and	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission – Chairman; 2. Joint Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy–Member; 3. Deputy Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy- Member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Joint Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy – Chairman; 2. Deputy Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy – Member; 3. Assistant Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(b) possessing the following qualifications and experience: **Essential** (i) Master Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute; (ii) Five years professional experience in Library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory Organisaion or Public Sector Undertaking or University or recognised Research or Educational Institution. **Desirable:** (i) One year's experience of computerising Library activities in a Library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or University or recognised Research or Educational Institution. (ii) Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute. **Note 1:-** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationsts shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age-limit for appointment by Deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/32/2018-Police Training]

RAMAN KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA